न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 16/2016

1. श्री पूसा पुत्र श्री हरजी
2. श्री राघमल पुत्र श्री छोगा
3. श्री रामनाथ पुत्र श्री हरदेव
4. श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री नाथूलाल
5. श्री गोपाल पुत्र श्री पांचू
6. श्री किशन पुत्र श्री नारायण
7. श्री सोहन पुत्र श्री नारायण
8. श्री अमरचंद पुत्र श्री नारायण

   समस्त जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम तिलाना तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर।
9. श्री घीसा पुत्र श्री पोखर कुम्हार
10. श्री मोहन पुत्र श्री भूरा जाति गुर्जर समस्त निवासीगण ग्राम तिलाना तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर।

.....*प्रार्थीगण*

बनाम

1. श्री रतन पुत्र श्री ज्वारा
2. श्री सूरज पुत्र श्री ज्वारा (मृतक) जरिये वारिसान :–

2/1. मु0 मनभर पत्नी श्री सूरज

2/2. श्री किशन पुत्र श्री सूरज

2/3. मीरा पुत्री श्री सूरज

3. श्री श्योजी पुत्र श्री धन्ना
4. श्री हुकमा
5. श्री फूलचंद
6. श्री शैतान

   पुत्रगण श्री लाला

   समस्त जाति खारोल, निवासीगण ग्राम तिलाना तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर।
7. श्री हजारी पुत्र श्री छीतर (मृतक) जरिये वारिसान :–

7/1. मु0 नर्बदा पत्नी श्री हजारी

7/2. श्री कंवरलाल पुत्र श्री हजारी

7/3. श्री राजू पुत्र श्री हजारी (मृतक) जरिये वारिसान :–

7/3/1. मु0 जमना पत्नी श्री राजू

7/4. कमली पुत्री श्री हजारी

7/5. श्री देवीलाल पुत्र श्री हजारी

8. श्री घीसा पुत्र श्री छीतर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

9. श्री नन्दा पुत्र श्री मोहन
10. श्री कैलाश पुत्र श्री काना
11. श्री महावीर पुत्र श्री भोलू
12. श्री गोपाल पुत्र श्री हमीरा
समस्त जाति खारोल निवासीगण ग्राम तिलाना तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद जिला अजमेर।

.....रेस्पोन्डेन्ट्स

अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व
(कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थितः **1.** श्री शिव प्रकाश चौधरी, वकील प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री ईश्वर देवडा वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 7 व 11, 12 की ओर से
3. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।

—: आदेश :—

दिनांक 11.05.2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 27.06.2002 को ग्राम तिलाना में आयोजित राजस्व कैम्प में उनखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर सर्व श्री काना, रतन, सूरज पुत्रगण श्री ज्वारा, श्री श्योजी पुत्र श्री धन्ना, श्री हजारी व श्री घीसा पुत्रगण श्री छीतर समस्त जाति खारोल निवासीगण ग्राम तिलाना तहसील नसीराबार जिला अजमेर के पक्ष में ग्राम तिलाना स्थित खसरा नम्बर 2271 मिन रकबा 32 बीघा 12 बिस्वा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ नियमन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में किये गये विवादित भूमि के नियमन को विभिन्न कारणों से विधि विरूद्व बताते हुए नियमन को निरस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थीगण के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का नियमन न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि विवादित भूमि पर प्रार्थीगण के मकानात बने हुए हैं तथा अर्से दराज से विवादित भूमि का विकास कर रहे है। विवादित भूमि गांव की आबादी से लगती हुई है व इस भूमि से ग्राम वासियों के आने जाने का सार्वजनिक रास्ता भी है। उक्त सार्वजनिक व रिहायशी भूमि को अप्रार्थीगण ने गैर कानूनी तौर पर नियमों के विपरीत कब्जा न होने के बावजूद

Scanned by CamScanner

नियमानुसार 15 बीघा तक भूमि धारण करने वाला व्यक्ति भूमिहीन की श्रेणी में आता है। प्रार्थीगण के कथनानुसार यदि यह मान भी लिया जावे कि उनकी खातेदारी में 130 बीघा भूमि पूर्व में ही थी तो भी अप्रार्थीगण के परिवार के 12 व्यक्तियों के पक्ष में संयुक्त रूप से विवादित भूमि का नियमन किया गया है जो तय सीमा 15 बीघा से भी कम प्रत्येक के हिस्से में आती है। वकील अप्रार्थीगण ने आगे कथन किया कि विवादित भूमि न तो आबादी के पास स्थित है न ही नाड़ी है। राजस्व रेकार्ड में भूमि बारानी–3 दर्ज है। प्रार्थीगण का यह कथन है कि नियम 4 के सब्क्लॉज 4 में विवादित भूमि का नियमन नहीं किया जा सकता तथा नियम 5 के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी नहीं की गई। उक्त नियम भूमि आवंटन की प्रक्रिया है। उनका यह भी कथन गलत है कि वरवक्त आवंटन प्रार्थी की पत्नी वार्डपंच थी तथा उनके प्रभाव से भूमि का नियमन किया गया है जबकि भूमि आवंटन के मामले में वार्डपंच की कोई भूमिका नहीं होती है। प्रार्थीगण का यह कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि का विक्रय किया गया है तो कोई भी कृषक अपनी खातेदारी की भूमि का कभी भी विक्रय कर सकता है इसमें प्रार्थी किस हैसियत से आपत्ति दर्ज करवा सकते है। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि नियम 14(4) में देखने योग्य बिन्दु यह है कि क्या आवंटी द्वारा भूमि का आवंटन Misrepresentation के आधार पर करवाया गया है। विचाराधीन प्रकरण में ऐसे कोई तथ्य रेकार्ड पर उजागर नहीं हुए है। प्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि से संबंधित एक नियमित राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के समक्ष प्रस्तुत किया था जो न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है तथा इनके द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के न्यायालय में एक वाद विड्रॉ कर दिया। नियम 14(4) की कार्यवाही नियमित राजस्व वाद के विचाराधीन रहते नहीं चल सकती। अन्त में उन्होंने कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक–6(39) राज–6/01/60 दिनांक 28.09.2001 के द्वारा नीति के अन्तर्गत भू संशोधन का अवशेष प्रकरण होने के कारण पुराने कब्जे काश्त के आधार पर विवादित भूमि का नियमन पूर्ण जांच पश्चात् नियमानुसार किया गया है। प्रार्थीगण का यह कथन गलत है कि वरवक्त नियमन गांव में नहीं रहते थे जबकि रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि भू संशोधन के दौरान विवादित भूमि इनके नाम रेकार्ड में दर्ज थी। प्रार्थीगण का यह कथन भी मानने योग्य नहीं है कि विवादित भूमि आबादी से लगती हुई होने के साथ ही कुछ हिस्से पर नाड़ी है। राजस्व रेकार्ड में भूमि बारानी 3 दर्ज है।

Scanned by CamScanner

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से निरस्त किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का नियमन यथावत रखा जाता है।

आदेश आज दिनांक 11.05.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर,
अजमेर

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर, अजमेर

Scanned by CamScanner